

09 $\frac{12}{24}$

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सेवाही के खसरा नंबर 3147/2 में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक्र भूमि के खसरा नंबर 3147 में से नवीन रेकॉर्डेड रास्ता चाहा है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता में तकरीबन 650 वर्गमीटर राजकीय सिवायचक्र भूमि प्रभावित होगी।

राजस्थान काइतकारी (सरकारी)

संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अव्याप्तिक आवश्यकता होने पर भी रेकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक्र भूमि के खसरा नंबर 3147 में से नवीन रेकॉर्डेड रास्ता चाहा है। राजकीय सिवायचक्र भूमियों में से किसी खातेदार को अपने जोत/खेत तक पहुंचने के लिए आवागमन इत्यादि के प्रयोजन से नहीं रोका जाता है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/2024/2538 दिनांक 12-11-2024 के बिन्दु संख्या 01 से भी सिद्ध होता है कि प्रार्थी प्रार्थी खातेदार अपनी जोत में आने जाने हेतु इसी खसरा नंबर 3147 की सिवायचक्र भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है।



सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली

इस प्रकार प्रार्थी खातेदार को राजकीय सिवायक भूमि में से रिकॉर्ड रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। साथ ही प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जाने पर खसरा नंबर 3147 (सिवायक भूमि) का रकबा भी कम होगा। अतः राजकीय सिवायक भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 3147 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251 ए खसिज किया जाता है। पत्रावली फंसल नुमर लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपसहायक अधिकारी, दारौ